## फॉर्म संख्या आईएनसी–26

**[कंपनियाँ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]**
**केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली) के समक्ष**
**तथा**
**कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के मामले में और कंपनियाँ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में**
तथा
**नेटनेक्स्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड**
(सीआईएन– U74999DL2014PTC273071) के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, तीसरी मंजिल, आरजी ट्रेड टावर,, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली, भारत 110034 पर स्थित है

**...आवेदक**

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके माध्यम से कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि प्राप्त की जाएगी, जो कि शुक्रवार, 26 जून, 2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह एमसीए–21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके या अपनी आपत्तियाँ शपथपत्र के साथ, जिसमें उसके हित की प्रकृति और विरोध के आधार बताए गए हों, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को निम्नलिखित पते पर भेज सकता है या पहुंचा सकता है: बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर, तथा इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी भेजी जाए (पता नीचे दिया गया है): 301, तीसरी मंजिल, आरजी ट्रेड टावर, , नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली, भारत 110034

**निर्देशक मंडल के आदेशानुसार**
**नेटनेक्स्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए**
**(हस्ताक्षर/–)**
**श्री अमित डांगी**
**प्रबंध निदेशक**
**डीनः 06976755**

**दिनांकः 29/06/2026**
**स्थानः दिल्ली**

---

## फार्म नं. आईएनसी-26

**{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}**
**केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष**

कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में

और

**प्रोटोकॉल वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-13-बी एसएफएस, मयूर विहार फेज III, दिल्ली, भारत, 110096 के मामले में**

**कंपनी/याचिकाकर्ता .....आवेदक**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **15 मई 2026** को आयोजित बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, **बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेज दे:

**बी-13-बी एसएफएस, मयूर विहार फेज III, दिल्ली, भारत, 110096**

**कृते और उसकी ओर से**
**प्रोटोकॉल वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड,**
**विवेक जोहर (निदेशक)**

**स्थानः दिल्ली**
**दिनांकः 29.06.2026**

---

## फार्म नं. आईएनसी-26

**{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}**
**केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष**

कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में

और

**प्रोटोकॉल इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-13-बी एसएफएस, मयूर विहार फेज III, दिल्ली, भारत, 110096 के मामले में**

**कंपनी/याचिकाकर्ता .....आवेदक**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **15 मई 2026** को आयोजित बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, **बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेज दे:

**बी-13-बी एसएफएस, मयूर विहार फेज III, दिल्ली, भारत, 110096**

**कृते और उसकी ओर से**
**प्रोटोकॉल इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड**
**सुनील अरोड़ा (निदेशक)**

**स्थानः दिल्ली**
**दिनांकः 29.06.2026**

---

## केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate

**केनरा बैंक**
**रिकवरी सेक्शन, क्षेत्रीय कार्यालय**
**प्लॉट नंबर 39, प्रथम तल, बोहरा हुंडई के पास, नीलम-बाटा रोड, फरीदाबाद**
**संपर्क नंबर 0129-2413997 ईमेल आईडी: rofbdrec@canarabank.com**

**ई–नीलामी बिक्री सूचना**

### 15 दिन की बिक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना**

एतद्वारा जनसामान्य को तथा कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा केनरा बैंक शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को निम्नलिखित विवरणों के सेवा प्रदाताओं द्वारा आयोजित ई-नीलामी द्वारा **''जहां है जैसा है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है''** आधार पर बिक्री की जायेगी।

**ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13.07.2026 शाम 5.00 बजे है (ऑफलाइन या ऑनलाइन)**

**ई–नीलामी की तिथि 14.07.2026 दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है**
**(बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)**

| कर्जदार/गारंटर का नाम | अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण | कुल देयताएं (रु.) / आरक्षित मूल्य (रु.) / ईएमडी (रु.) / बोली वृद्धि राशि (रु.) | नीलामी की तिथि एव समय |
|---|---|---|---|
| **कर्जदार:** 1. राजवीर सिंह पुत्र सोहन लाल (कर्जदार) पता: सोहन लाल किशोरा मोहल्ला ढेर वाली माता का मंदिर के पास ग्राम बामनीखेड़ा, पलवल, हरियाणा–121105 I. **गारंटर:** 1. सुनील कुमार पुत्र किशन चंद, पता: मकान नंबर 1399 वार्ड नंबर 12 जवाहर नगर, कैंप पलवल-हरियाणा-121105 | खेवट/खतौनी संख्या 314 मिन/324, रेक्ट नं. 68, किला नं. 14(8-0), में 3/320वें हिस्से की सीमा तक गैरमुमकिन संपत्ति का पूरा हिस्सा, आवेदक के हिस्से में 0 कनाल 1-1/2 मारिया लगभग 50 वर्ग गज आती है। श्री राजवीर सिंह पुत्र सोहन लाल के नाम पर ग्राम बामनीखेड़ा, तहसील पलवल, जिला-पलवल में स्थित है। (सांकेतिक कब्जे के तहत) | रु. 3,70,552.29/- तिथि 16.05.2024 तक तथा भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार<br>रु. 2.75 लाख<br>रु. 0.28 लाख<br>रु. 10,000/- | ईएमडी की तिथि 14.07.2026 को 12:30 बजे अप. से 01:30 बजे अप. (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार सहित) 13.07.2026 |
| | | प्राधिकृत अधिकारी श्री निशान्त सिन्हा, सम्पर्क नं. 7496918308, दूरभाष नं. 7496918224 | |

**दिनांक : 29.07.2026**
**स्थान : फरीदाबाद**

**कृते केनरा बैंक**
**प्राधिकृत अधिकारी**

---

## बैंक ऑफ इंडिया Bank of India

Relationship beyond banking

**बैंक ऑफ इंडिया**
**नई दिल्ली संपत्ति वसूली शाखा**
**तीसरी मंजिल, 'स्टार हाउस, पीवीआर प्लाज़ा हॉल के पास, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001,**
**फोन नं. 011–23755605 ई–मेल : AssetRecovery.NewDelhi@bankofindia.bank.in**

**ई–नीलामी बिक्री सूचना सम्पतियों की ई–नीलामी – 11.08.2026**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस**

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **11.08.2026** को दुपहर **11.00** बजे से अपरा. **05.00** बजे के बीच आयोजित, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा होगी।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है

| क्र. सं. | शाखा और खाते का नाम | कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम | सम्पत्ति का विवरण | कुल देय | कब्जे का प्रकार | क. आरक्षित मूल्य (लाख में) ख. ईएमडी (लाख में) ग. बोली वृद्धि राशि (लाख में) | निरीक्षण की तिथि और समय (पूर्वाह्न 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक) | प्राधिकृत अधिकारी का नाम और सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नई दिल्ली एसेट रिकवरी ब्रांच, मेसर्स एम.आर. ओवरसीज | मेसर्स एम.आर. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड अपने डायरेक्टर के जरिए रजिस्टर्ड ऑफिस : 204 वासन चैम्बर्स, बी-9, कोटला टावन-4, नीयर वेस्ट दिल्ली 110009 श्री रमेश कुमार अरोड़ा, स्वर्गीय श्री मुलाख राज के बेटे (गारंटर) मकान नं.-87, डेरा इस्माइल खान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसे डेरावाल नगर के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली-110009 श्री संजीव कुमार स्वर्गीय श्री मुलाख राज के बेटे (गारंटर) एच-1-ए, ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर, पंजाब-143001 | 204, बी/9, कोटला टावन, दिल्ली में स्थित श्रीमती रंजना अरोड़ा की मालिकाना हक वाली 36.79 वर्ग मीटर की रिहायशी फ्लैट वाली सम्पत्तिका पूरा हिस्सा। | 60,56,70,211.40 28.07.2025 तक, साथ ही आगे का ब्याज और लागत, संबंधित खर्च आदि। | सांकेतिक | क) रू. 99.00 ख) रू. 9.90 ग) रू. 1.00 | 27-07-2026 पूर्व निर्धारित के साथ | श्री राघवेन्द्र सिंह -9461834131 |
| | | | 4095 ए. नया बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली में स्थित 34.56 वर्ग मीटर की उस सम्पत्ति का पूरा हिस्सा, जिसमें 2 दुकानें शामिल हैं और जो श्री संजीव कुमार अरोड़ा, श्री रमेश कुमार अरोड़ा और श्री नंद कुमार अरोड़ा की है। | | | क) रू. 3.37 करोड़ ख) रू. 33.70 लाख ग) रू. 1.00 लाख | 27-07-2026 पूर्व निर्धारित के साथ | |
| | | | डेरा इस्माइल खान को-ऑपरेटिव गृह हाउसिंग सोसाइटी (जिसे डेरावाल नगर, दिल्ली के नाम से जाना जाता है) में ए-87 पर स्थित प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा, जिसमें पूरा बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर शामिल है और जो 157.44 वर्ग मीटर में फैला है। यह प्रॉपर्टी श्री रमेश कुमार अरोड़ा की है। | | | क) रू. 3.32 करोड़ ख) रू. 33.20 लाख ग) रू. 1.00 लाख | 27-07-2026 पूर्व निर्धारित के साथ | |
| | | | डेरा इस्माइल खान को-ऑपरेटिव गृह हाउसिंग सोसाइटी (जिसे डेरावाल नगर, दिल्ली के नाम से जाना जाता है) में ए-87 पर स्थित प्रॉपर्टी का वह हिस्सा जिसमें पहली और दूसरी मंजिल शामिल है, जो श्रीमती मनसा अरोड़ा की है और जिसका कुल क्षेत्रफल 157.44 वर्ग मीटर है। | | | क) रू. 5.5 करोड़ ख) रू. 55.00 लाख ग) रू. 1.00 लाख | 27-07-2026 पूर्व निर्धारित के साथ | |

### नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" https://baanknet.com. वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकरण करना चाहिए और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना चाहिए और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी / आरटीजीएस / ट्रांसफर / भुगतान गेटवे (https://baanknet-com) के माध्यम से बैकनेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा।
3) नीलामी की तिथि और समय : 11.08.2026 सुबह 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक असीमित 05 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।
4) ई-नीलामी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आरक्षित मूल्य पर प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगा। बोली दाता सभी संपत्तियों के लिए एक साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँ।
5) इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-निलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी BAANKNET के साथ जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, 11.08.2026 तक ई-विक्रय पोर्टल https://baanknet.com. पर जमा करना होगा।
6) उपरोक्त /सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को घटाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
7) बोली /खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिन के अंदर (बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी /बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
9) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक -https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें
10) चूंकि यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को आगामी 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री की अग्रिम सूचना है।
11) इस नोटिस के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा के संस्करण के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

**दिनांक : 29.06.2026** **स्थान : नई दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

---

## पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

**बी.ओ. चावड़ी बाजार, नई दिल्ली**
**ई–मेलः d0294@psb.co.in**

### मोचन सूचना

**दिनांकः 29.06.2026**

**1. मेसर्स आकर्षण डिजाइनर साड़ी** (उधारकर्ता, स्वामीः प्रकाश रस्तोगी, 55, मेन रोड, नटराज के सामने, भल्ला, चांदनी चौक, दिल्ली – 110006। साथ हीः मकान संख्या सी–12/490, सी–12 ब्लॉक, यमुना विहार, गढ़ी मेंडू, दिल्ली – 110053। साथ हीः मकान संख्या 12, दूसरी मंजिल, गली संख्या 3–ए, श्री राम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली – 110053। साथ हीः 105/5, पहली मंजिल, मोती बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली – 110006। 2. श्रीमती शिल्पी गुप्ता, पत्नी प्रकाश रस्तोगी (गारंटर), मकान संख्या 12, दूसरी मंजिल, गली संख्या 3–ए, श्री राम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली – 110053

**आदरणीय महोदय/महोदया,**

विषयः बीओ चावड़ी बाजार में अकाउंट नंबर 02941300003041 और 02941200000447 के संबंध में, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 13(8) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत आपको मिले अधिकार के आधार पर भुगतान करके संपत्ति वापस पाने) के लिए नोटिस।

जैसा कि आपको ज्ञात है, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने विषयगत ऋण खाते के लिए आपके द्वारा सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत सुरक्षित परिसंपत्ति में सुरक्षा हित के प्रवर्तन हेतु "त्थ्प्म् अधिनियम" की धारा 13(2) के अंतर्गत 06.04.2021 को एक मांग सूचना जारी की थी।

इसके पश्चात, अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने 05.07.2021 को सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा ले लिया।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, अतः अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, "सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002" की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियों को ई–नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है, ताकि उपर्युक्त उधारकर्ता एवं गारंटरों से बैंक को देय बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002, नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित के प्रावधान की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय (यानी 30 दिन) से संबंधित है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13(8) के तहत आपका अधिकार उस तारीख से समाप्त हो जाएगा जब सुरक्षित संपत्ति को लीज, असाइनमेंट या बिक्री के जरिए ट्रांसफर करने के लिए पब्लिक ऑक्शन (सार्वजनिक नीलामी), कोटेशन या टेंडर मंगाने, या प्राइवेट ट्रीटी (निजी समझौते) का नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।

**अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सेल नोटिस का विवरण इस प्रकार हैः**

संपत्ति के ऋण वसूलीकरण और प्रतिभूतिकरण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़े जाने पर, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।

नीलामी की तारीख : 30.07.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
निरीक्षण की तारीख : 20.07.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
ईएमडी की आखिरी तारीख : 30.07.2026, सुबह 10:30 बजे तक

| | |
|---|---|
| उधारकर्ता का नाम/गारंटर का नाम | : मेसर्स आकर्षण डिजाइनर साड़ी, प्रोपराइटर प्रकाश रस्तोगी शिल्पी गुप्ता |
| डिमांड नोटिस की तारीख और राशि, खाता विवरण | : 06.04.2021, राशि रूपये 26,32,376.35/– और भविष्य का ब्याज 02941300003041 और 02941200000447 |
| 29–06–2026 तक कुल बकाया राशि | : रू 46,21,623.06, कानूनी कार्यवाही का खर्च और भविष्य का ब्याज। |

| संपत्तियों का विवरण | एमआरपी |
|---|---|
| फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति जिसका नंबर 112, ब्लॉक– बी, पॉकेट –6, सेक्टर –11 है, का समता बंधक (। निर्मित संपत्ति जिसका नंबर 12 है, दूसरी मंजिल पर छत के अधिकारों सहित, खसरा नंबर 714/200/1 एवं 520/219/220/221 में से, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, स्थित ग्राम मौजपुर में, गली नंबर 3।, श्री राम मार्ग, मौजपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली 110053 की आबादी में स्थित, जो श्री प्रकाश रस्तोगी पुत्र श्री रमेश चंद्र के नाम पर विक्रय विलेख के माध्यम से पंजीकृत है, दस्तावेज संख्या 2019, पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 4291, पृष्ठ 1–8 पर दिनांक 03.12.2010 को उप–पंजीयक – IV, सीलमपुर, दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत। | रूपये 30.60 लाख |

**अधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक**

---

## पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

**एआरएमबी नोएडा, 1 ला तल, एसएच–12, जगत फार्म मार्केट, ग्रेटर नोएडा ई–मेलः ccs8290@pnb.co.in**

### इन्वेंट्री हटाने के लिए 10 दिनों का नोटिस

**दिनांकः 24/06/2026**

**उधारकर्ताः**

**श्री मोहित चौहान, पुत्र श्री अनिल चौहान,** प्लॉट नं.–3रा–एफ, –877 और 878, 1ला तल, सेक्टर 3एफ, रेजिडेंशियल कॉलोनी, वैशाली, गाजियाबाद, उ. प्र.
**अन्य पताः** फ्लैट नं.–8091, टावर नं.–6, जीएच–7, ब्लॉक–ई, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, गाजियाबाद, उ. प्र. – 201009
**श्रीमती मीना चौहान पत्नी श्री मोहित चौहान,** प्लॉट नं.–3रा–एफ, –877 और 878, 1ला तल, सेक्टर 3एफ, रेजिडेंशियल कॉलोनी, वैशाली, गाजियाबाद, उ. प्र.
**अन्य पताः** फ्लैट नं.–8091, टावर नं.–6, जीएच–7, ब्लॉक–ई, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, गाजियाबाद, उ. प्र. – 201009
**गारंटर :श्री सुनील कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री बृज मोहन,** मकान नं.–टी–329, बलजीत नगर, दिल्ली–110008

**विषयः सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत भौतिक कब्जा लेने के परिणामस्वरूप, सुरक्षित संपत्ति में पड़े सामान को हटाने हेतु नोटिस**

प्रिय महोदय/महोदया,

आपने पंजाब नैशनल बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, जिसे अन्य बातों के साथ–साथ नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति को बंधक रखकर सुरक्षित किया गया था।

पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।

जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26.12.2023 को एक आदेश पारित किया था, जिसके अनुपालन में नायब तहसीलदार, सदर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 22.06.2026 को सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया गया है, और इसे बैंक के अधिकृत अधिकारी को विधिवत सौंप दिया गया है।

कब्जा लेने पर यह देखा गया है कि आपकी कुछ इन्वेंट्री सुरक्षित संपत्ति के परिसर में पड़े हुए हैं, जिसका विवरण इसके साथ अनुबंध–A (सामान की सूची) के रूप में संलग्न है।

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को पूर्व सूचना देकर और कार्य समय के दौरान, उक्त इन्वेंट्री को सुरक्षित संपत्ति से हटा लें। ऐसा न करने पर, बैंक बिना किसी और नोटिस के, आपके एकमात्र जोखिम, लागत और परिणामों पर, कानून और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार उक्त सामान के निपटान/ नीलामी के लिए उचित कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त निर्धारित अवधि के बाद परिसर में पड़ी इन्वेंट्री के किसी भी नुकसान, क्षति या खराब होने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

**सुरक्षित परिसंपत्तिः**

प्लॉट सं. 3रा एफ–877 और 878, 1ला तल, सेक्टर–III एफ, रेजिडेंशियल कॉलोनी, वैशाली, गाजियाबाद, उ. प्र. पर स्थित फ्लैट, जिसका कवर्ड एरिया 55.56 वर्ग मी. है (मालिकः श्रीमती मानसी गोस्वामी, सुपुत्री श्री लक्ष्मी नारायण गोस्वामी)

आपको सलाह दी जाती है कि इस नोटिस को अत्यंत आवश्यक समझें।

**धन्यवाद,**
**आपका भवदीय,**
**पंजाब नैशनल बैंक की ओर से,**
**(अधिकृत अधिकारी)**
**आस्ति वसूली शाखा,**
**एसएच–12, 1 ला तल, जगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–गामा,**
**ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ. प्र.**

---

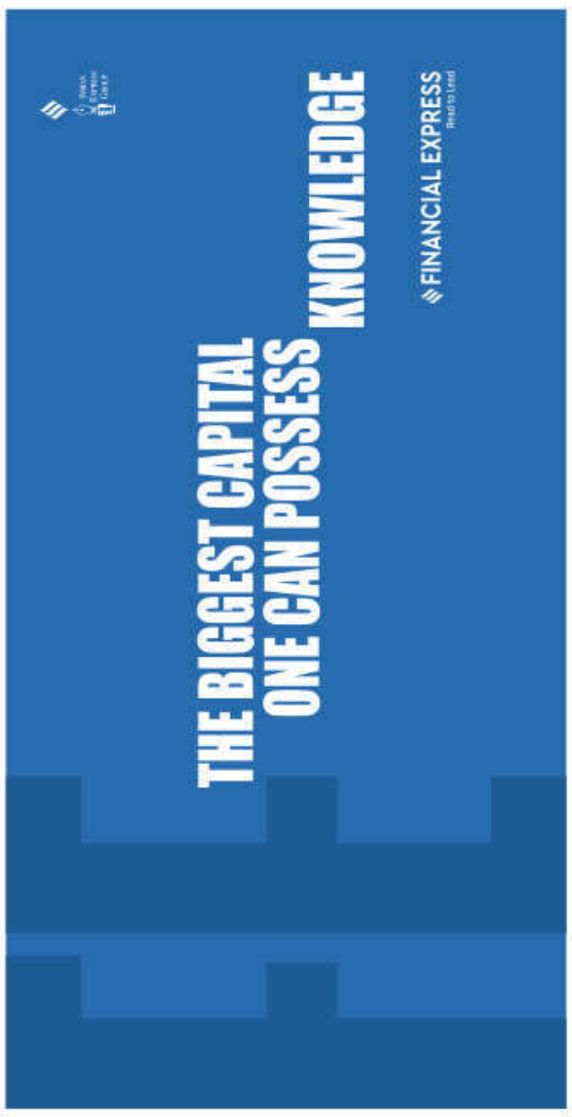


---

## IDBI BANK

**हॉल नं0 एच–2, भूतल, पदमदीप टॉवर, जी–10/8, संजय पैलेस आगरा, उत्तर प्रदेश– 282002**
**क्षेत्रीय कार्यालय- दिल्ली रोड, मझोला चौक, धर्मकाटे के सामने, मुरादाबाद- 244001। उत्तर प्रदेश**

**बिक्री सूचना**

### अचल सम्पत्तियों के लिए बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना/बिक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।** आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास गिरवी/चार्ज की गई हैं, जिसका **भौतिक कब्जा** बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। आईडीबीआई बैंक को **15.07.2026** को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आईडीबीआई बैंक के कारण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित ब्याज और व्यय के साथ **रू0 35,04,552.74 + लागू ब्याज एवं शुल्क** की वसूली के लिए बेचा जाएगा। **1. संजय खंडेलवाल, 2. उषा खंडेलवाल।** आरक्षित मूल्य **रु. 36,22,500/-** होगा और बयाना राशि **रु. 3,62,250/-** होगी। उधारकर्ता, गिरवीकर्ता और गारंटर की देय राशि, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि का विवरण और ज्ञात बाधाओं के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है: -

| क्र0 सं0 | ऋणी/सह-ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का नाम एवं पता | अचल सम्पत्ति का विवरण | डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि | ई-नीलामी की तिथि एवं समय | (ए) आरक्षित मूल्य (बी) ईएमडी | प्राधिकृत अधिकारी/ नोडल अधिकारीयों का नाम एवं नम्बर | सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात भार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संजय खंडेलवाल पता: मकान नं0 59, राहुल ग्रीन फेस-2, निकट राधा बल्लभ इंटर कॉलेज दयाल बाग, आगरा, उ0प्र0- 282005, उषा खंडेलवाल, पता: 59, राहुल ग्रीन फेस-2, निकट राधा बल्लभ इंटर कॉलेज आगरा, उ0प्र0- 282005 | बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, फ्लैट नं0 402, चतुर्थ तल, निखिल वुडलैंड अपार्टमेंट, मौजा ककरेठा, तहसील एवं जिला- आगरा। सीमाएँ: